न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–201/2021

1. राजेश्वरीदेवी पत्नी रतिराम जाति जाट निः 33 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

1. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।
2. मूलाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निः मूण्डसर हाल 33 केवाईडी खाजूवाला।
3. केशरनाथ, जगराम नाथ, बन्नानाथ, मोहननाथ, किशन वगैरह।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया की चक 33 केवाईडी ए के मुनं0 201/13 में भूमि है। मेरी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीया को काफी परेशनी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीया अपने खेत में प्रवेश करने के लिए चक 33 केवाईडी ए के मु0नं0 201/4 किला नं0 21 ता 25 मे रास्ता मंजूर करने का आदेश प्रदान करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी केशरनाथ, जगराम नाथ, बन्नानाथ, मोहननाथ, किशन वगैरह के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.6.22 को अमल में लाई गई। अप्रार्थी मूलाराम के अधिवक्ता को अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 18.11.22 को जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2022/281 दिनांक 26.4.22 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 33 केवाईडी ए के मु0नं0 201/4 मौके पर खाली है तथा किला नं0 21 ता 25 में कोई निर्माण नहीं है। प्रार्थी ने मु0नं0 201/13 मे जाने के लिए मु0नं0 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में चाहा गया है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शे के अनुसार मु0नं0 201/13 में पहुंचने के लिए मु0नं0 201/4 के अलावा मु0नं0 201/12 के किला नं0 21 या मु0नं0 201/5 के किला नं0 5 में भी कटाणी रास्ते की आवश्यकता पड़ेगी जिसका उल्लेख प्रार्थी ने आवेदन पत्र में नहीं किया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–76 में मु0नं0 201/4 मे कच्ची पेंसिल से 35 प्रतिशत राशि जमा का अंकन मनोहरी पत्नी मूलाराम जाति के नाम से कर रखा है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में मुरब्बा नंबर 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा में से होकर गुजर रहा है। भू. अभि. निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर मुरब्बा नंबर 201/4 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)